

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या- 115/2019

निर्णय दिनांक -07.06.2019

1. ओमप्रकाश पिता राधाकिशन जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र 74 साल निवासी डाक बंगला रोड निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. लोकेश पिता रामनिवास जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र 36 साल निवासी आर. के. कॉलोनी, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. मु0 सीमा पुत्री रामनिवास जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र वयस्क निवासी आर. के. कॉलोनी, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. कुश पिता राधेश्याम जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र 24 साल निवासी आर. के. कॉलोनी, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. लव पिता राधेश्याम जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र 24 साल निवासी आर. के. कॉलोनी, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
6. मु. मंजुबाई बेवा राधेश्याम जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र 55 साल निवासी आर. के. कॉलोनी, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
7. शीतल पिता सत्यनारायण जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र 33 साल निवासी, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
8. सुरेश कुमार पिता किशनलाल लढढा, आयु वयस्क, निवासी, निम्बाहेडा ।
9. प्रदीप पिता सत्यनारायण जाति लढढा माहेश्वरी, उम्र 31 साल निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– प्रार्थी

// बनाम //

1. नारायण लाल पिता लक्ष्मदास कृपलानी जाति सिंधी उम्र 50 साल निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. मोहम्मद नईम पिता कयामुदीन जाति मन्सुरी मुसलमान उम्र 45 साल निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. ललित प्रकाश पिता श्री निवास जाति शारदा माहेश्वरी उम्र 50 साल निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा की आराजी नं0 232, 1290, 1291, 1292, 1294 कुल किता 5 कुल रकबा 0.7600 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी



प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 400/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा निम्बाहेडा, पटवार हल्का निम्बाहेडा-ए, तह0 निम्बाहेडा की आराजी नं0 232, 1290, 1291, 1292, 1294 कुल किता 5 कुल रकबा 0.7600 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 07.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

